न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(राज0)

प्र0सं0, 24/2016,(जी.सी.एम.एस. न. 2016/00009) पीठासीन अधिकारीः—डॉ.रवि कुमार गोयल (R.A.S)

उनवान

गिरेन्द्रकौर पुत्री स्व0 श्री राजा मान सिंह पत्नी विग्रेडियर के.पी.सिंह जाति फौजदार नि0 मोतीझील कोठी भरतपुर

—वादिया

बनाम

1. जुगली पुत्र परभाती सिंह(मृतक)
1/1. ललता प्रसाद दत्तक पुत्र जुगली
2. सोहनलाल
3. रेवन — पिस0 परभाती
4. हीरालाल
5. छीतर
6. बाबू
7. किरोडी
8. बल्लो — पिस.पीतम
9. परसी पुत्र शोभाराम
10. जवाहर
11. मौहर सिंह
12. दयाराम — पिस0 हुकमी
13. सम्प नवीरा रामचंद
14. वासुदेव नवीरा रामचंद(मृतक)
14/1. कस्तूरा पत्नी वासी उर्फ वासुदेव
14/2. भगवान सिंह उर्फ पपईया पुत्र वासी उर्फ वासुदेव
14/3. जगदीश उर्फ बब्बी पुत्र वासी उर्फ वासुदेव
14/4. सावित्री पुत्री वासी उर्फ वासुदेव

जातियान माली नि0 जनूथर तहसील डीग

15. बल्ला
16. परसी
17. बसन्ता — नवीरा रामचन्द
18. प्रभू पुत्र रामचन्द

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

19. चिरंजी
20. लच्छो } पिस0 प्यारे
21. यादराम पुत्र भूप सिंह
22. बहोरी पुत्र मंगल(मृतक)
22/1. नन्नू पुत्र बहोरी
23. चन्दर
24. चूरामन } पिस0 परमा
25. लक्ष्मी वेवा देवीराम (मृतक)
26. गजराज पुत्र देवीराम नाबालिग वाविलायत माता खुद लक्ष्मी वेवा देवीराम जाति माली नि.जनूथर
27. पन्ना
28. बाबू } पिस0 अंगद
29. लाल सिंह
30. 30 मंगल(मृतक)
31/1. करन सिंह
30/2. सोहनलाल } पिस0 मंगल } जातियान माली नि0जनूथर
30/3. रतन
30/4. मोती
30/5. कलावती पत्नी मंगल
31. गिर्राज पुत्र खिच्चू(मृतक)
31/1. जगनी
31/2. चरनी सिंह } पिस0 गिर्राज
31/3. भगवान सिंह } जातियान गडरिया नि0जनूथर
32. सूकी पुत्र खिच्चू(मृतक)
32/1. परमाली वेवा सूकी
32/2. तुलाराम पुत्र सूकी
32/3. भूदेई पुत्री सूकी पत्नी मोहनलाल
32/4. शिवदेई पुत्री सूकी पत्नी निहाल सिंह जाति गडरिया नि0 खामनी तह0 व जिला मथुरा(उ.प्र.)
32/5. श्यामवती पुत्री सूकी पत्नी मौहर सिंह जाति गडरिया नि0 खामनी तह0 व जिला मथुरा(उ.प्र.)
33. कन्हैया पुत्र खिच्चू जाति गडरिया नि0 जनूथर
34. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग

खण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 आर.टी.एक्ट,

दिनांकः 14.08.2024

निर्णय

वादिया द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 आर.टी.एक्ट उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बावत इस आशय के साथ पेश किया है कि साविक आ.ख.नम्बर 1016 रकबा 01 बीघा 19 विस्वा, 1017 रकबा 01 बीघा 12, 1018 रकबा 12 विस्वा, 1019 रकबा 10 विस्वा, 1020 रकबा 01 बीघा 03 विस्वा,1021 रकबा 01बीघा 11 विस्वा, 1022 रकबा 01 बीघा 07 विस्वा, 1023 रकबा 01 बीघा 02विस्वा, 1024 रकबा 03 बीघा 05 विस्वा, 1025 रकबा 02 बीघा, 1026 रकबा 66 बीघा 02 विस्वा, 1027 रकबा 08 विस्वा,1028 रकबा 01 बीघा 10 विस्वा, 1026 रकबा 66 बीघा 02 विस्वा,कुल किता—13 रकबा 82 बीघा 11 विस्वा स्व0 सीनियर राजा एडवर्ड मानसिंह जी कॉम फौजदार सिनसिनवार नि0 भरतपुर के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी के सैटिलमेंट विभाग ने उक्त साविक नम्बरों के हाल नम्बरान 2150/0.06, 2151/0.36, 2922/0.17, 2926/0.83, 2928/0.44, 2929/0.11, 2930/0.15, 2931/0.19, 2932/0.19, 2933/0.15, 2934/0.14, 2935/0.12, 2936/0.13, 2937/0.28, 2938/0.38, 2939/0.52, 2940/0.25, 2941/0.19, 2942/0.16, 2943/0.10, 2944/0.24, 2945/0.28, 2946/0.32, 2947/0.41, 2948/0.80, 2949/0.05, 2950/0.64, 2951/0.29, 2952/0.21, 2953/0.80, 2954/0.48, 2955/0.39, 2956/0.13, 2957/0.34, 2958/0.26, 2959/0.03, 2960/0.61, 2961/0.24, 2962/0.23, 2963/0.03, 2964/0.05, 2965/0.19, 2979/0.28, 2980/0.20 बनाये है। उक्त आराजी पर वादिनी के पिता स्व0 राजा मानसिंह काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे और अब वादिनी वाहैसियत खातेदार काश्तकार होकर काश्त कर रही है। विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 2978 रकबा 0.45 ऐयर सैटिलमेंट से पूर्व से ही वादिनी के कब्जे काश्त खातेदार आराजी है। परन्तु सैटिलमेंट विभाग ने गलत तरीके से खसरा नम्बर 2978 को प्रति0 के साविक खसरा नम्बरान 1051, 1049, 1048 से बनना दिखाया गया है जोकि मुताविक गत नक्सा एवं हाल नक्सा के अनुसार गलत तरीके से सैटिलमेंट विभाग ने प्रति0 की खातेदारी में दर्ज कर दिया है। हाल विवादित आराजी खसरा नम्बर 2978 को साविक आराजी खसरा नम्बरान 1051, 1049, 1048 से वनना दिखाया है। जोकि गलत है। उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 2978 वादिनी के गत खसरा नम्बरान 1027, 1026, 1028 का रकबा है। जिसे गलत तरीके से प्रति0 के ना हाल राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का इन्द्राज कद दिया गया है जोकि गलत है। उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 2978की आराजी पर सम्वत 2012 से पूर्व से ही वादिनी के पिता स्व0 राजा मानसिंह वाहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काविज होकर काश्त करते थे तथा वादिनी के पिता की मृत्यु उपरांत वादिनी ही वाहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज होकर काश्त कर रही है। अतः निवेदन है कि विवादित आराजी

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज,

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नम्बर 2978/0.45 ऐयर स्थित ग्राम जनूथर वादिनी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। उक्त खसरा नम्बर 2978 पर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित कर विवादित आराजी खसरा नम्बर 2978/0.45 ऐयर पर हो रहे इन्द्राज को कलमजन किया जाकर प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावंद किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति0 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर वादनी के वाद का विरोध करते हुए अपना जबाव दावा पेश किया गया। जबाव दावे में वर्णित किया गया है कि दावे में वर्णित तथ्य असत्य है वादनी का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है और ना ही वादनी का विवादित आराजी पर कोई कब्जा किसी प्रकार से है और ना ही कभी पहले रहा है।बन्दोवस्त हाल में विवादित आराजी का किया गया इन्द्राज काश्त व हक प्रति0 विल्कुल सही है व दुरूस्त है। विवादित आराजी नवीन खसरा नम्बर 2978/0.45 से वादिया का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है और ना ही कभी पहाले था ना ही वादनी का कोई कब्जा काश्त है। आराजी खसरा नम्बर 2978/0.45 वाके ग्राम जनूथर को हाल बन्दोवस्त साविक आराजी खसरा नम्बर 1026, 1027, 1028 की भूमि से नहीं बनाया गया है और ना ही विवादित नम्बर 2978 नवीन में साविक नम्बर 1026, 1027, 1028 की आराजी है। वादनी का यह कथन गलत है कि हाल बन्दावस्त में विवादित नम्बर 2978 को सवाविक नम्बरान 1026, 1027, 1028 से बनाया गया है। विवादित आराजी नवीन नम्बर 2978/0.45को हाल बन्दोवस्त में साविक नम्बर 1048/1—06 मिन, 1049/0—7, व 1051/0.18मिन वाके ग्राम जनूथर कब्जे काश्त व खातेदारी प्रति0 के बदले में बनाया गया है और विवादित नम्बर 2978 में केवल साविक नम्बरान 1048, 1049, 1051 की भूमि है। जोकि मिलान क्षेत्रफल व नक्सा अक्स साविक व हाल से पूरी तरह साबित है और साविक नम्बरान 1048, 1049 व 1051 वाके ग्राम जनूथर प्रति0 नम्बर 01 लगायत 33 के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है जिस पर पूर्वजों के समय से ही प्रति0 संख्या 01 लगायत 33 का कब्जा काश्त वतौर खातेदार काश्तकार चला आ रहा है तथा अब भी है। ऐसी स्थिति में दावा वादनी काविले खरिजी के है। जोकि खारिज फरमाया जावे।

दावा व जबाव दावा की प्लीडिंग के आधार पर निम्नांनुसार तनकीयात कायम की गईः—

1. आया वादिया विवादित आराजी पर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने की अधिकारी है।
2. आया वादिया विवादित आराजी पर प्रति0 को जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा पावंद करा पाने की अधिकारी है।
3. आया प्रति0 के नाम हाल राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज के कलमजन किये जाने योग्य है।
4. आया दावा करने से पूर्व 80 सी.पी.सी.का नोटिस सरकार को देना था जो नहीं देने के कारण दावा वादी काविले खारिजी के है।

तनकी संख्या 1,2,3 को सावित करने का भार वादनी पर तथा तनकी संख्या 4 को सावित करने का भार प्रति0 पर था।

वादिया द्वारा अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्बत 2013 लगायत 2016 प्रदर्श—पी 1, नकल मिलान क्षेत्रफल पी—2, नकल जमाबन्दी सम्बत 2053लगायत 2056 पी—3, व 4, नकल नक्सा हाल प्रदर्श पी—5 नकल नक्सा साविक प्रदर्श पी—6, नकल खसरा पत्रक सम्बत 2040 प्रदर्श—पी 7, पेश किये गये तथा मौखिक साक्ष्य में स्वयं वादिया एवं गवाह पी—डब्ल्यू—2,पदम सिंह बयान कराये । प्रति0 द्वारा अपने जबाव के समर्थन में नकल गत जमाबन्दी सम्बत 2013—2016 प्रदर्श डी—1 पेश की तथा

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

मौखिक साक्ष्य में प्रति0 बलराम उर्फ बल्लो डी—डब्ल्यू—1, गवाह डी—डब्ल्यू—2 तेजराम, डी—डब्ल्यू—3 सत्यदेव के बयान कराये गये।

बहस के दौरान वकील वादिया ने अपने दावे में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि प्रति0 कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी है और वक्त साविक आराजी में से वक्त सैटिलमेंट ऑपरेशन के दौरान साविक आराजी खसरा नम्बर 1048 रकबा 1 वीघा 6 विस्वा से नवीन नम्बर 2986/0.17 बनाया था तथा खसरा नम्बर 1048 रकबा 15 विस्वा से नवीन नम्बर 2984 बनाया था जोकि पूर्व से ही प्रति0 की खातेदारी में दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल अनुसार साविक खसरा नम्बर 1048 रकबा 01 वीघा 6 विस्वा हाल खसरा नम्बर 2986/0.17 व साविक नम्बर 1049 रकबा 7 विस्वा का कोई नया नम्बर नहीं बना। साविक नम्बर 1051 रकबा 15 विस्वा का हाल नम्बर 2984/0.12, साविक नम्बरान 1048,1049,1051 का हाल नम्बरान 2978/0.45 है। इस प्रकार दावा वादिनी स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री किया जावे। वकील प्रति0 के द्वारा अपनी बहस प्रस्तुत करते हुए उनके जबाव में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि दावा वादिनी मैण्टेनेबिल नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

<u>तनकी संख्या 1 व 3:—</u> उक्त दोनों तनकीयात एक दूसरे से सम्बन्धित होने के कारण इनका निर्णय एक साथ किया जा रहा है। वादिया का अपने वाद में मुख्य रूप से यह कथन रहा है कि विवादित खसरा नम्बर 2978/0.45 वाके ग्राम जनूथर बन्दोवस्त से पूर्व वादनी की खातेदारी की आराजी है। परन्तु सैटिलमेंट विभाग ने गलत तरीके पर खसरा नम्बर 2978को प्रति0 के गत खसरा नम्बर 1049, 1051, 1048 से बना हुआ दिखाते हुए प्रति0 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया। आगे वादनी का यह भी कथन रहा है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2978/0.45 को उनके गत खसरा नम्बर 1026,1027, 1028 से बनाया गया है। जिस पर पहले राजा मानसिंह काश्त करते थे। उनके वाद वादनी काश्त करते है। इसलिए वादनी को खसरा नम्बर 2978/0.45 का खातेदार दर्ज किया जावे। इसके विपरीत प्रति0 ने वादिया का विरोध करते हुए कथन रहा है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2978/0.45से वादिया व उनके पिता स्व0 राजा मान सिंह का कोई सम्बन्ध नहीं रहा। उक्त ख0नम्बर 2978 प्रति0 के गत ख0नम्बर 1048 रकबा 01 बीघा 6 विस्वा मिन, 1049/0—7, 1051/0—18मिन, वाके ग्राम जनूथर की आराजी से बनाया है तथा मिलान क्षेत्रफल में भी इसी प्रकार हाल खसरा नम्बर 2978 को बनना बन्दोवस्त द्वारा दिखाया है। जिस पर शुरू से ही उनका कब्जा है।

राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि खसरा नम्बर 2978/0.45 को बन्दोवस्त विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल में गत खसरा नम्बर 1051मिन रकबा 16 विस्वा, 1049 रकबा 7 विस्वा, 1048 मिन रकबा 01 बीघा 6 विस्वा की आराजी से बनना दिखाया है जोकि गत जमाबन्दी सम्बत 2013—2016 प्रदर्श डी—1में प्रति0 खातेदारी मं दर्ज है तथा वादनी के गत खसरा नम्बर 1027, 1026,1028 से मिलान क्षेत्रफल में अन्य नवीन खसरा नम्बरान 2964, 2979, 2962 बनाये जाने प्रतीत होते है। जोकि वर्तमान रिकार्ड में वादनी के नाम दर्ज है। वादनी द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बरान के वारे में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत वाद में एवं राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट नहीं किया गया है। वादनी को अपने सम्पूर्ण रकबा गत के अनुसार रिकार्ड पेश करना चाहिए था। वादनी द्वारा पेश गत नक्सा व हाल नक्सा के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2978 को गत खसरा नम्बरान 1051, 1049,1048 की आराजी से ही बनाया गया है। वादनी अपने वाद एवं दस्तावेजी साक्ष्य से इस तनकी संख्या 01 व 3को अपने पक्ष में प्रमाणित नहीं कर सकी है। इसलिए तनकी संख्या 01 व 03 को अपने पक्ष में प्रमाणित नहीं कर सकी है। इसलिए तनकी संख्या 01 व 03 वादनी के विरूद्व तय की जाती है। बन्दोवस्त विभाग द्वारा जो इन्द्राज गत राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रति0 के नाम खसरा नम्बर 2978 दर्ज किया है वह सही है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

तनकी संख्या–2:– इस तनकी को सावित करने का भार वादिया पर है। चूँकि तनकी संख्या 01 व 03 की विवेचना में विवादित खसरा नम्बर 2978/0.45 पर वादिया का कोई अधिकार होना नहीं पाया गया है एवं उक्त आराजी प्रति0 के गत खसरा नम्बरान से बनना स्पष्ट हुआ है,जोकि प्रति0 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं प्रति0 के नाम लगातार दर्ज चली आ रही है। जिस पर वे बतौर खातेदार काबिज है। इसलिए तनकी संख्या 02 भी वादनी के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी संख्या–4:– इस तनकी को सावित करने का भार प्रति0 पर है। प्रति0 ने अपनी वहस में इस तनकी पर कोई कथन नहीं किया है। कानूनन धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस नहीं देने का एतराज प्रति0 राज0 सरकार द्वारा ही उठाया जा सकता है। जिन्होंने ऐसा कोई एतराज नहीं किया है। इसलिए इस तनकी का निर्णय प्रति0 के विरूद्व एवं वादनी के पक्ष में तय किया जाता है।

वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत बहस, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, बयानात, कानूनी द्वष्टांत के आधार पर हम वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राज0 टि0 एक्ट, को राजस्व रिकार्ड के अभाव में अस्वीकार किया किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि :–

वादीगण का दावा उपलब्ध साक्ष्य से सावित नहीं होने व मैण्टेनेबिल नहीं होने से तथा राजस्व रिकार्ड के अभाव में **अस्वीकार/खारिज** किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(डॉ. रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

उपखण्ड अधिकारी डीग जिला डीग (राज.)

Scanned with OKEN Scanner